



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230880
CG-DL-E-02112021-230880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4195]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 4195]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4556(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के साम्बा जिले में दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) किमी 503.200 से किमी 514+300 तक, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के कि.मी. 86.7 से कि.मी.96 तक के साथ, के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त साम्बा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के साम्बा जिले में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के कि.मी. 86.7 से कि.मी.96 तक के साथ दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) के किमी 503.200 से किमी 514+300 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि, संरचना सहित अथवा संरचना रहित, का विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: साम्बा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बड़ी ब्राह्मणा					
गांव का नाम: बीरपुर					
1	1721	अन्य	गैर कृषि	0.1037000(हेक्टेयर)	0.1037000
2	1722	सरकारी	नेहर	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
3	1723	सरकारी	गैर कृषि	0.1062000(हेक्टेयर)	0.1062000
4	1724	निजी	गैर कृषि	0.1088000(हेक्टेयर)	0.1088000
5	1734	अन्य	बलोले नल्लाह	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000
6	528	सरकारी	गैर कृषि	0.2529000(हेक्टेयर)	0.2529000
7	579	निजी	गैर कृषि	0.3541000(हेक्टेयर)	0.3541000
गांव का नाम: मीन चरकन					
1	846	अन्य	कृषि / गैर कृषि	0.0316000(हेक्टेयर)	0.0316000
कुल				1.1597	1.1597

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4556(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from km 503.200

to km 514+300 along the existing NH44 from Km 86.7 to Km 96 in district SAMBA of the UT of J&K

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Samba in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for construction , operation & maintenance of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from km 503.200 to km 514+300 along the existing NH44 from Km 86.7 to Km 96 the district of SAMBA in the UT of J&K

State: JAMMU & KASHMIR			District: SAMBA		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bari Brahamana					
Village: Birpur					
1	1721	Common	Non-Agriculture	0.1037000(Hectare)	0.1037000
2	1722	Government	nehar	0.1012000(Hectare)	0.1012000
3	1723	Government	Non-Agriculture	0.1062000(Hectare)	0.1062000
4	1724	Private	Non-Agriculture	0.1088000(Hectare)	0.1088000
5	1734	Common	Balole Nallah	0.1012000(Hectare)	0.1012000
6	528	Government	Non-Agriculture	0.2529000(Hectare)	0.2529000
7	579	Private	Non-Agriculture	0.3541000(Hectare)	0.3541000
Village: Meen Charkan					
1	846	Common	Agriculture/Non-Agriculture	0.0316000(Hectare)	0.0316000
Total				1.1597	1.1597

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3A]

RAJESH GUPTA, Director